पत्रांक 4571 /आयु0 क0 उत्तरा0/धारा–57 अनुभाग/वा0कर/2010–11/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून::03फरवरी, 2011

प्रार्थना पत्र सं0 – 7658/06.12.2010
सर्वश्री एडवांस इजी0 कम्पनी,
175/बी–2, राजपुर रोड, देहरादून।
उपस्थिति– सर्वश्री एडवांस इजी0 कम्पनी, की ओर से श्री संजय टण्डन साझेदार फर्म श्री बृजमोहन सती फर्म अधिवक्ता।
निर्णय का दिनांक– जनवरी, 2010,

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

सर्वश्री एडवांस इजी0 कम्पनी, 175/बी–2, राजपुर रोड देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हुये "Knitted fabrics- Agro shading net(HDPE से निर्मित) " पर कर की दर के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया।

2. विभागीय मत ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि "Knitted fabrics- Agro shading net(HDPE से निर्मित) Polymer net है। व्यापारी का वर्ष 2007–08 एवं 08–09 के कर निर्धारण आदेश में भी 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया है जो स्वयं व्यापारी द्वारा स्वीकृत कर है तथा वर्तमान वर्ष 2010–11 में 13.5 प्रतिशत की दर से कर जमा किया गया है। प्रश्नगत वस्तु किसी भी अनुसूची से आच्छादित न होने के कारण इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करारोपण होगा।

3. प्रार्थना पत्र की सुनवाई की निर्धारित तिथि को श्री संजय टण्डन साझीदार फर्म अपने अधिवक्ता श्री बृजमोहन सती के साथ उपस्थित हुये, प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रश्नगत बस्तु को करमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

4. मेरे द्वारा फर्म की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा रखे गये तथ्यों एवं विभागीय मत का अवलोकन किया गया। उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची में "Knitted fabric- Agro shading net(HDPE से निर्मित)" समिल्लित नही किया गया है। व्यापारी का वर्ष 07–08 एवं 08–09 के वाद में 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया है जो व्यापारी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है। तथा वर्ष 2010–11 में भी व्यापारी द्वारा 13.5 प्रतिशत की दर से कर जमा किया गया है। "Knitted fabrics- Agro shading net(HDPE से निर्मित)"उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची से आच्छादित न होने के कारण अवर्गीकृत वस्तुओं की

भॉति 12.5 प्रतिशत(1प्रतिशत अतिरिक्त कर) की दर से करदेयता लागू होगी। इस प्रकार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय की प्रति सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं व्यापारी को पंजीकृत डाक से भेजी जाय।

(राधा रतूडी)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड

पृ0प0सं0 1571 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन,
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
4. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों /बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
7. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 /परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।
8. असि0 कमि0,वाणिज्य कर ,खण्ड–1, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित
10. कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें
11. पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल एन0आई0सी0,4 सुभाष रोड़ देहरादून ।
12. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
13. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
14. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राज नगर गाजियाबाद।
15. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
16. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
17. विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड